okf.kfT;d ifjlj] u;k jk[kh lsDVj&25] u;k jk;iqj esa fofHkUu vkdkj dh nqdkuksa dk ykblsal ij vkcaVu gsrq fufonk vkea=.k lwpuk

,oa

fufonk izi=

fufonk vkea=.k lwpuk dzekad@3330@6¼2½@60@lEink@,uvkjMh,@2015

u;k jk;iqj] fnukad 23@06@2016

Uk;k jk;iqj MsOgyiesUV vFkkWfjVh

dSfiVy dkWEIysDl] lsDVj&19] u;k jk;iqj ¼N-x-½ & 492002

nwjHkk"k **0771-2511500,** QSDl **0771-2511400** bZ&esy **: ceo@nayaraipur.com,**

osc lkbV & www.nayaraipur.gov.in

वणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर-25 में विभिन्न आकार की दुकानों का लाइसेंस पर निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना क ्रमांक/3330/60/सम्पदा/एनआरडीए/2015, नया रायपुर, दिनांक 23/ 06/.2016 2

दुकानों के लाइसेंस पर आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र निम्नांकित को जारी -

मेसर्स/श्री ऋऋ

____

____

निविदा प्रपत्र शुल्क:- रूपये 500/- (रूपये पांच सौ मात्र)

मनी रसीद बुक नं. ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋए रसीद नं.ऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋए दिनांक ऋऋऋऋ ध् ऋऋऋऋ ध् 2016

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी
नया रायपुर

fMLkDyses

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह निविदा भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित किन्ही जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जावे, अन्यथा यह माना जायेगा कि निविदा दाता द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एवं पूर्ण होने के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।
3. निविदा दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज टेंडर जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये है। ये दस्तावेज सभी व्यक्तियों के उद्देश्य और आवश्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अतः निविदा भरने वाले व्यक्ति से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत निविदाएं भरें।
4. निविदा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या उसके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए दायी नहीं होंगे।
5. निविदा आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं में से किसी निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पास सुरक्षित है।
7. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विभागीय वेबसाईट www.nayaraipur.gov.in में सूचना प्रकाशित करते हुए, स्व–विवेक से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, निविदा सूचना की शर्तों में संशोधन यह निविदा दस्तावेजों को पूर्णतः किया जा सकता है। उक्ताशय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी।

u;k jk;iqj MOgyiesaV vFkkWfjVh

jktk/kkuh ifjlj] lsDVj&19] u;k jk;iqj ¼N-x-½&492002

दूरभाष : 0771–2511500 फैक्स नं. 0771–2511400 ई–मेल ceo@nayaraipur.com

www.nayaraipur.gov.in

Øekad @3330@6¼2½@60@laink@,uvkjMh,@2015] u;k jk;iqj] fnukad 23@06@2016

okf.kfT;d ifjlj] u;k jk[kh lsDVj&25 esa fofHkUu vkdkj dh nqdkuksa dk ykblsal ij vkcaVu gsrq fufonk vkea=.k lwpuk

----

1-0 नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित डेव्लपमेंट अथॉरिटी है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राजधानी नगर की प्लानिंग, विकास एवं प्रबंधन के लिए राज्य शासन द्वारा नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

2-0 नया रायपुर का विकास ''नया रायपुर विकास योजना – 2031'' के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। विकास के अनुक्रम में अथॉरिटी द्वारा विभिन्न स्थानों पर, भिन्न–भिन्न उपयोगों के लिए भवनों/सामाजिक/व्यवसायिक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में वाणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर–25 में विभिन्न आकार की दुकानों का लाइसेंस पर आबंटन किया जाना है।

3-0 नया रायपुर के वाणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर–25 में विभिन्न आकार की दुकानों के लाइसेंस पर आबंटन हेतु निर्धारित निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई तिथि के दोपहर 3.00 बजे तक उपरोक्त पते पर आमंत्रित है।

3.1 निविदा प्रपत्र जिनमें लाइसेंस की शर्ते आदि दी गई है, दुकानों के लिये निर्धारित शुल्क रू. 500/– का डीडी निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। डीडी संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा अमान्य किया जा सकेगा।

3.2 निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन किये जाने की स्थिति में सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाते हुए एनआरडीए के वेबसाइट **www.nayaraipur.gov.in** पर प्रकाशित की जायेगी।

4-0 vkcaVu %&

4-1 एक निविदा प्रपत्र में केवल एक ही दुकान के लिए निविदा भरी जा सकेगी। दुकान का क्रमांक, आकार एवं आरक्षण, मासिक लाइसेंस शुल्क vuqlph ,d में दर्शाये अनुसार है।

4-2 दुकानों का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निविदा दाता को निर्धारित निविदाप्रपत्र में मासिक लाइसेंस शुल्क की राशि भरना होगा। जिस निविदा दाता की लाइसेंस राशि सर्वाधिक होगी, उसके पक्ष में दुकान का लाइसेंस प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

4-3 दुकान का लाइसेंस प्रथम तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। लाइसेंस की शर्तों का पालन करने की स्थिति में, पिछले वर्ष के लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिशत वृद्धि के साथ पुनः तीन वर्ष के लिए लाइसेंस की अवधि बढाई जा सकेगी।

5-0 fufonk vkea=.k ,oa fufonk Hkjus okys 0;fDr;ksa ds fy, funsZ'k

5-1 दुकान के लाइसेंस के लिए अर्हता रखने वाले किसी भी वयस्क व्यक्ति को निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी।

5-2 vuZsLV euh –निविदा दाता को दुकान के लिए निविदा के साथ अर्नेस्टमनी रूपये 10,000/– (दस हजार मात्र) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, को नगद या बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। निधारित स्वरूप में अर्नेस्ट मनी जमा करना नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

5-3 fufonk rS;kj djus ,oa tek djus dk rjhdk&

(1) निविदा दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी–

5.4 fyQkQk **,** इस लिफाफे में अर्नेस्टमनी, निर्धारित शुल्क फार्म की रसीद/डीडी, पेनकार्ड, आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का स्व सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। लिफाफा बंद कर उसके उपर लिफाफा ''ए'' तथा नीचे निविदा दाता का नाम एवं पता लिखा जाना आवश्यक होगा।

5.5 fyQkQk **ch** इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है, भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरों में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती है। दरें शब्दों एवं अक्षरों दोनो में भरी जावे। यदि कोई कांट–छांट या संशोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रति–हस्ताक्षर किये जाये।

शब्दों एवं अक्षरों या कांट–छांट में कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा।

5.6 उपरोक्त दोनों लिफाफे अर्थात् fyQkQk **,*' तथा fyQkQk **c** एक बड़े लिफाफे में बंद कर उसके ऊपर नाम, पता, एवं सेक्टर नं. दुकान क्रमांक लिखकर निविदा की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व एनआरडीए कार्यालय में जमा किये जायेंगे। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

6-0 fufonk [kksys tkus dh fof/k&

6.1 निर्धारित तिथि में निविदा जमा करने का समय समाप्त होने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा खोलने की कार्यवाही निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थित होंगे उनके समक्ष की जायेगी। सबसे पहले बाहरी लिफाफा खोला जायेगा उसके बाद लिफाफा ''ए'' खोला जायेगा।

6.2 fyQkQk **,** के दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद पात्रता निर्धारित की जायेगी। पात्र पाये गये निविदा दाताओं के fyQkQk **c** अन्य तिथि में, उन्हें उपस्थिति हेतु सूचना देते हुए निर्धारित की गयी तिथि को खोले जायेंगे और प्राप्त निविदा दरों की तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी।

6.3 प्राप्त उच्चतम निविदा दर का मूल्यांकन किया जायेगा और यदि उचित पाया गया तो निगोशियेशन के उपरांत या बिना निगोशियेशन किये निविदा स्वीकृत की जायेगी।

7-0 निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदा दाता को दी जायेगी। सूचना पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर, सफल निविदा दाता को N% ekg का लाइसेंस शुल्क सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा तथा लाइसेंस अनुबंध 100.00 रू. (एक सौ रूपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर कराना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त समयावधि के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को अधिकार होगा कि स्वीकृति निरस्त कर जमा की गयी राशि राजसात कर लेवें। अपरिहार्य कारणो से सफल निविदा दाता के लिखित अनुरोध पर विलंब शुल्क लेते हुए समयावधि बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

8-0 ykblsal dh vU; 'krsZ%&

8.1 लाइसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर लाइसेंस अनुबंध का पंजीयन कराना होगा।

8.2 लाइसेंसधारी को मासिक लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख के भीतर एनआरडीए कोष में जमा करना होगा। विलंब की स्थिति में, विलंब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलंब शुल्क के साथ देय राशि जमा करायी जा सकेगी परंतु तीन माह से अधिक बकाया रहने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

8.3 जिस व्यक्ति को दुकान का लाइसेंस प्रदान किया गया है, उसे स्वयं दुकान में व्यवसाय चलाना होगा या किन्ही कारणों से यदि वह स्वयं दुकान व्यवसाय करने में असमर्थ हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्व अनुमति से वह किसी अन्य को, लाइसेंस की शर्तो के अध्यधीन किराये पर दे सकेगा।

8.4 लाइसेंसधारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दुकान का हस्तातंरण नहीं किया जायेगा।

8.5 लाइसेंसधारी द्वारा दुकान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

8.6 लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये गये दुकान के अलावा अन्य कोई स्थान पर सामान प्रदर्शित नहीं किया जायेगा न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जायेगा।

8.7 लाइसेंसधारी द्वारा दुकान का रख–रखाव एवं रंगाई–पोताई एवं मरम्मत स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

8.8 लाइसेंसधारी को विद्युत फीटिंग और बिजली बिल स्वयं वहन करना होगा। साफ सफाई, जल प्रदाय एवं सिवरेज तथा अन्य यूजर्स चार्जेस का भुगतान समय पर करना होगा।

8.9 किन्ही कारणों से लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर/लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर लाइसेंसधारी को दुकान आबंटन के पूर्व की स्थिति में खाली कर वापस सौपना होगा। लाइसेंसधारी द्वारा जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस नहीं की जायेगी।

8.10 लाइसेंसधारी को दुकान के भीतर एवं आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा और कूड़ादान रखना होगा तथा कूड़ा कचरा एकत्रित कर एनआरडीए द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर उसका निष्पादन करना होगा अन्यथा दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

8.11 लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये गये स्थान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाया जाना प्रतिबंधित है। लाइसेंसधारी केवल अपनी

दुकान से संबंधित साइन बोर्ड निर्धारित आकार में एनआरडीए से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लगायेगा।

8.12 लाइसेंसधारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान किया जावेगा।

8.13 लाइसेंसधारी द्वारा दुकान में मादक, विस्फोटक या विधि द्वारा वर्जित अन्य कोई वस्तु का संग्रहण या क्रय–विक्रय नहीं किया जावेगा।

8.14 लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने पर एनआरडीए को लाइसेंस निरस्त कर दुकान रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा।

8.15 किसी तरह की विवाद की स्थिति में प्राधिकारी का निर्णय उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

8.16 छ.ग. विशेष (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम 2008 के प्रावधान बंधनकारी होगी।

eq[; dk;Zikyu vf/kdkjh

vuqlwph&,d

okf.kfT;d ifjlj] u;k jk[kh lsDVj&25] u;k jk;iqj esa fofHkUu vkdkj dh nqdkuksa dk ykblsal ij vkcaVu gsrq fufonk vkea=.k lwpuk
nqdkuksa dk fooj.k

ljy Øekad	nqdku Øekad	vkj{k.k	vkdkj	{ks=Qy ¼oxZehVj esa½	vkjf{kr ekfld ykblsal 'kqYd
1	2	अ.जा/अ.ज.जा.	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
2	3	अ.जा/अ.ज.जा.	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
3	4	अ.जा/अ.ज.जा.	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
4	5	अ.पि.व.	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
5	7	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.80	4080/–
6	8	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
7	9	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
8	11	अ.जा/अ.ज.जा.	3.2 x 4.0	12.00	4080/–
9	12	अ.जा/अ.ज.जा.	3.2 x 4.0	12.80	4352/–
10	14	अ.पि. वर्ग	4.8 x 3.0	14.40	4896/–
11	15	अनारक्षित	4.8 x 3.0	14.40	4896/–
12	16	अनारक्षित	4.8 x 3.0	14.40	4896/–
13	17	अ.पि. वर्ग	4.8 x 3.2	15.36	5222/–
14	19	विधवा/परित्यक्ता	4.8 x 3.0	14.40	4896/–
15	21	अनारक्षित	3.2 x 4.0	12.80	4352/–
16	23	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
17	24	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
18	25	महिला	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
19	26	अनारक्षित	3.2 x 4.0	12.80	4352/–
20	27	अन्य विकलांग	3.2 x 4.0	12.80	4352/–
21	28	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
22	29	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
23	30	महिला	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
24	31	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	4080/–
25	32	अनारक्षित	3.2 x 4.0	12.80	4352/–
26	33	अनारक्षित	1.6 x 3.0	4.80	1632/–
27	34	अ.जा./अ.ज.जा.	2.1 x 1.5	3.15	1071/–
28	35	अनारक्षित	2.1 x 1.5	3.15	1071/–
29	36	अनारक्षित	2.1 x 1.5	3.15	1071/–
30	37	अनारक्षित	2.1 x 1.5	3.15	1071/–
31	38	दृष्टिहीन विकलांग	1.6 x 3.0	4.80	1632/–
32	39	अनारक्षित	1.6 x 3.0	4.80	1632/–
33	40	अ.जा./अ.ज.जा.	2.1 x 1.5	3.15	1071/–
34	41	महिला	2.1 x 1.5	3.15	1071/–

वणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर-25 में विभिन्न आकार की दुकानों का लाइसेंस पर निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना क ्रमांक/3330/60/सम्पदा/एनआरडीए/2015, नया रायपुर, दिनांक 23/ 06/.2016 10

निविदा पपत्र

वाणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर-25, नया रायपुर में विभिन्न आकार की दुकानों का लाइसेंस पर आबंटन आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना मैं..आत्मज..आयु...............
पता...

वाणिज्यिक परिसर, नया राखी सेक्टर-25, नया रायपुर में विभिन्न आकार की दुकानों का आबंटन के लिए बुलायी गई निविदा के अंतर्गत दुकान क्रमांक .... के लिए अपनी निविदा निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता हूँ।
सेक्टर एवं
ग्राम का
नाम

दुकान
क्रमांक

प्रस्तुत निविदा दर
मासिक लाइसेंस
श् ाुल्क (अंकों में)

मासिक लाइसेंस शुल्क (शब्दों में)

2. मैंने निविदा की सभी शर्ते पढ़ और समझ ली है एवं वे मुझे मान्य है। मेरे द्वारा
निविदा शर्त में निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि का डीडी लिफाफा-ए में रखी गई है।
3. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र में
दी गई राशि जमा करूंगा तथा लाइसेंस अनुबंध का पंजीयन कराउंगा। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं किया गया तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर देंवे।

निविदादाता का हस्ताक्षरः-.....................
(1) साक्षी का हस्ताक्षर........................... नामः-...
नामः-... पताः-..
पताः-... ....

. . . . दिनांकः-..
दिनांकः-...

1) साक्षी का हस्ताक्षर................................
नामः-..
पताः-..

- -

दिनांकः-...